संख्या-591/14-2-2009

प्रेषक,

संजय सिंह,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

वन अनुभाग-2 लखनऊ दिनॉक 16 सितम्बर,2009

विषयः गाजियाबाद में मोहननगर से ज्ञानी बार्डर तक जी0टी0 रोड के चौड़ीकरण एवं पाइप ड्रेन के निर्माण हेतु 4.52 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व बाधक 472 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-1187/11-सी-गाजियाबाद, दिनॉक 04-2-2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल उक्त परियोजना के निर्माण हेतु गाजियाबाद में मोहननगर से ज्ञानी बार्डर तक जी0टी0 रोड के चौड़ीकरण एवं पाइप ड्रेन के निर्माण हेतु 4.52 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व बाधक 472 वृक्षों के पातन की अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या-8ती/ यूपी/06/ 63/2008/एफ.सी/1934,दिनॉक 25-2-2009 में प्रदत्त स्वीकृति स्वीकृति के आधार पर उसमें उल्लिखित शर्तों का समावेश करते हुए विकास प्राधिकरण गाजियाबाद को निम्न शर्तो पर प्रदान करते हैः-

(1)- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(2)- प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के दुगने अनावृत गैर वनभूमि अर्थात् 9.04 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रखरखाव किया जायेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की वनभूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की भूमि है, अतः इसे वन विभाग को हस्तान्तरण एव नामान्तरण किया जायेगा तथा इसे आरक्षित/संरक्षित वन में अधिसूचित किया जायेगा। इस हेतु भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना की एक प्रति प्रस्तावित वनभूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को हस्तान्तरण करने के छः माह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

(3)- प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं रख रखाव किया जायेगा।

(4)- भारत सरकार के पत्र संख्या-5-2/ 2006-2006- एफ0सी0, दिनांक 20-05-2006 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-सी0ए0-1574,कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)

ब्लाक-11, भूतल सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 में जमा कराया जाये।

(5)- परियोजना के निर्माण व रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।

(6)- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(7)- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण में लगे मजदूरों/ स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिसमें निकटवर्ती वनो के क्षति न हो।

(8)- निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के निर्धारित विभाग/प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा और अन्य पदार्थ की विधिवत् बिक्री से प्राप्त राजस्व ग्राम वन समितियों/राज्य राजस्व कोष में जमा किया जायेगा।

(9)- प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

(10)- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का पातन किया जायेगा।

(11)- प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं रख रखाव किया जायेगा।

(12)- उक्त भूमि गैर वानिकी प्रयोग हेतु दिये जाने के बाद भी प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग उक्त प्रस्तावक द्वारा केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

(13)- वन विभाग के कर्मचारी अथवा अधिकारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय, जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(14)- यूजर एजेन्सी से नेट प्रजेण्ट वैल्यू (एन०पी०वी०) की धनराशि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-3-2008 एवं 5-5-2008 एवं इस सम्बंध में जारी शासनादेश संख्या-रिट-526/14-2-2008, दिनॉक 22-8-2008 के अनुसार ली जायेगी तथा इस प्रयोजन से प्राप्त धनराशि व अन्य निधियां भारत सरकार के कैम्पा में जमा की जायेगी।

(15)- प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार के पत्र संख्या-एफ०न० 5-1/98-एफ०सी० (पी०ई० II) दिनांक 29-3-05 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन करना होगा। प्रस्तावक विभाग द्वारा वृक्षों के पातन का परिव्यय वन विभाग के पक्ष में जमा करना होगा।

T0'd

XVJ LƎſƎSƎVI dH 03:49PM 60/81/60

(16)- प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावक को भूस्वामित्व वाले विभाग से कार्यानुमति प्राप्त करनी होगी।

(17)- उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या ए-2/75/ दस-77/14(4) दिनांक 3-2-1977 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजय सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-591(1)/14-2-2008-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2 मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर, एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- [illegible]।
4- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
5- सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
6- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, गाजियाबाद।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय सिंह)
विशेष सचिव।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजियाबाद
पत्रांक 826 / 14-1 दि० 22/9/2009
प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद
2- उप प्रभागीय वनाधिकारी गाजियाबाद।
3- वन क्षेत्राधिकारी गाजियाबाद

22/09/2009
प्रभागीय निदेशक
सा० वा० प्रभाग
गाजियाबाद